संघ लोक सेवा आयोग
प्रेस नोट
भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2023

दिनांक: 14 नवंबर, 2023

संघ लोक सेवा आयोग **26 नवंबर, 2023 (रविवार)** को देशभर में भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2023 का आयोजन करेगा। आयोग, प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ई-प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट **(https://upsconline.nic.in)**पर **17 नवंबर, 2023** को अपलोड करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर ई-प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने के तुरंत बाद वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक ई-प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखा जाए। इस परीक्षा के लिए कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार, ई-प्रवेश पत्र के साथ संलग्न **"उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश"** को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

- उम्मीदवारों को उन्हें आबंटित परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा। **जो उम्मीदवार आबंटित परीक्षा-स्थल पर जांच हेतुअपना ई-प्रवेश पत्रप्रस्तुत नहीं करेगा, उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं**दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने साथ प्रत्येक सत्र में फोटो पहचान पत्र, जिसका क्रमांक ई-प्रवेश पत्र पर अंकित हो, लाना आवश्यक है।
- ई-प्रवेश पत्र में विसंगतियां पाए जाने पर, उन्हें ई-मेल (ई-मेल आईडी soexam9-upsc@gov.in)के माध्यम से अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं जिससे इस मामले में निर्णय लिया जा सके।
- यह ध्यान दिया जाए कि पूर्वाह्न सत्र प्रात: 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और अपराह्न सत्र अपराह्न 02.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक (जो कि पहले 02.00 बजे से 05.00 बजे तक था) आयोजित किया जाएगा। परीक्षा-स्थल पर उम्मीदवारों का प्रवेश, परीक्षा (प्रत्येक सत्र में) के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से **30 मिनट पहले (10 मिनट की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर) बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद किए जाने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा-स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- उम्मीदवारों को परीक्षा भवन परिसर में कोई भी मूल्यवान / कीमती सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें, बैग आदि के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं न लाएं क्योंकि **परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक इन वस्तुओं को रखने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी प्रतिबंधित वस्तु लाता है, तो वह उस वस्तु को परीक्षा-स्थल के बाहर रखने का प्रबंध स्वयं करेगा और इस संबंध में हुई किसी क्षति के लिए आय़ोग जिम्मेदार नहीं होगा।** इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल में अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, पहचान का प्रमाण, स्वयं की फोटो की प्रतियां (जो भी लागू हो) और ई-प्रवेश पत्र के अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य वस्तुओं को लाने की अनुमति होगी। परीक्षा-स्थल के भीतर अन्य किसी वस्तु को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक/अन्य संचार यंत्र अथवा अन्य कोई आपतिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड़ आदि में नोट्स बनाना) अपने पास रखने (स्विच ऑफ मोड में भी नही) / इनका इस्तेमाल करने या किसी अनुदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद् करना, उम्मीदवार

के विरुद्ध एफआईआर/पुलिस शिकायत दर्ज करना, परीक्षा के अगले सत्र (सत्रों) / दिन (दिनों) प्रवेश पर प्रतिबंध आदि शामिल है। इसके अलावा आयोग,परीक्षा के नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य समुचित कार्रवाई कर सकता है।

- उम्मीदवारों को उपस्थिति सूची में प्रविष्टियां करने के लिए **काला बॉल प्वाइंट पेन** साथ लाने की भी सलाह दी जाती है।
- उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष/हॉल में साधारण कलाई घड़ी के इस्तेमाल की ही अनुमति है। विशेष अक्सेसरी से युक्त घड़ियां, जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण या स्मार्ट/डिजिटल घड़ी के रूप में किया जा सकता है, पर प्रतिबंध है।

संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली-110069, दिनांक 14 नवंबर, 2023